मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/बी-6/नियमन/वर्गीकरण/2069 भोपाल दिनांक 15 जुलाई 2016

:: आदेश ::

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-6/नियमन/वर्गीकरण/249 दिनांक 09 फरवरी 2016 से म0प्र0 कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 वर्ष 1973) की धारा 25-क की उपधारा (1) एवं सहपठित म0प्र0कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति वर्गीकरण) नियम, 1981 के नियम (3) के अधीन विहित मानकों के आधार पर नियम (2) के खण्ड (ख), (ग) एवं (घ) के अनुसार प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों को उनकी विगत् 3 वित्तीय वर्षो 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 "माह अप्रेल से मार्च तक" की औसत आय (मण्डी फीस @1% + अनुज्ञप्ति (लायसेंस) फीस = वास्तविक आय) के आधार पर मण्डी अधिनियम के समस्त प्रयोजनों के लिये वर्गीकृत किया गया है।

उपरोक्त वर्गीकरण आदेश में आंशिक संशोधन करने के संबंध में जिन कृषि उपज मण्डी समितियों से प्रस्ताव प्राप्त हुये थे उनका कार्यालयीन पत्र क्रमांक बी-6/नियमन/वर्गीकरण/391/143 दिनांक 19 जनवरी 2016 से गठित समिति के द्वारा परीक्षण उपरांत की गई अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित कृषि उपज मण्डी समितियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम नंबर 4 में दर्शाये गये प्रवर्ग में संशोधित/परिवर्तित कर वर्गीकृत किया जाता है :-

क्रमांक	मण्डी समिति का नाम	प्रचलित प्रवर्ग	संशोधित/परिवर्तित प्रवर्ग
1	2	3	4
1.	मनावर जिला धार	तृतीय अर्थात "ग" प्रवर्ग	द्वितीय अर्थात "ख" प्रवर्ग
2.	कुक्षी जिला धार	तृतीय अर्थात "ग" प्रवर्ग	द्वितीय अर्थात "ख" प्रवर्ग
3.	सैलाना जिला रतलाम	तृतीय अर्थात "ग" प्रवर्ग	द्वितीय अर्थात "ख" प्रवर्ग
4.	सौंसर जिला छिंदवाड़ा	तृतीय अर्थात "ग" प्रवर्ग	द्वितीय अर्थात "ख" प्रवर्ग
5.	पांढुर्ना जिला छिंदवाड़ा	चतुर्थ अर्थात "घ" प्रवर्ग	तृतीय अर्थात "ग" प्रवर्ग

यह संशोधन आदेश दिनांक 01 अप्रेल 2016 से प्रभावशील माना जावेगा।

(अरुण पाण्डेय)
प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक / बी–6 / नियमन / वर्गीकरण / 2070 भोपाल दिनांक 14 जुलाई 2016

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(01) विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग सह अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

(02) कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

(03) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

(04) अपर संचालक (समस्त) / मुख्य अभियंता / संयुक्त संचालक (समस्त) / अधीक्षण यंत्री (समस्त) / उप संचालक (समस्त) / चीफ प्रोग्रामर मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

(05) संयुक्त संचालक / उप संचालक (समस्त) आंचलिक कार्यालय, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड इंदौर / उज्जैन / जबलपुर (म0प्र0)।

(06) सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति मनावर जिला धार / कुक्षी जिला धार / सैलाना जिला रतलाम / सौंसर जिला छिंदवाड़ा / पांढुर्ना जिला छिंदवाड़ा (म0प्र0)।

प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल